



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

प्रधान आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING



आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

फा.सं.II/39/14/2018-रा.भा.

तारीख Dated : 10.02.2021

परिपत्र CIRCULAR

विषय : राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का आयोजन - संबन्धित ।

Sub : Quarterly Meeting of the Official Language Implementation Committee- Regarding.

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक श्री के.आर.उदय भास्कर, प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि की अध्यक्षता में केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के सम्मेलन कक्ष में दिनांक 18.02.2021 को अपराह्न 03.30 बजे आयोजित करने का निर्णय लिया गया है ।

It has been decided to conduct the quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee under the chairmanship of **Shri K. R. Uday Bhaskar, Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi in the Conference Hall of the Hqrs. on 18.02.2021 at 03.30 pm.**

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यों और सभी अनुभाग के प्रभारियों से अनुरोध है कि वे कृपया बैठक में उपस्थित रहें तथा सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए आवश्यक सुझाव भी प्रस्तुत करें । पुनः अनुरोध है कि वे अपने कार्यभार के अधीन पिछली तिमाही के दौरान हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति के बारे में भी समिति को अवगत कराएं ।

All the members of the Official Language Implementation Committee and all Section-in-charge are requested to attend the meeting and also to put forth necessary suggestions to increase the use of Official Language Hindi for the Office work. It is also requested that report regarding the progress achieved under their respective charges may also be reported.

मंडल कार्यालयों के प्रमुख सहायक आयुक्तों से अनुरोध है कि वे कृपया इस बैठक में ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित रहें तथा सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए आवश्यक सुझाव भी प्रस्तुत करें । पुनः अनुरोध है कि वे अपने कार्यभार के अधीन पिछली तिमाही के दौरान हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति के बारे में भी समिति को अवगत कराएं ।

Assistant Commissioners -in-charge of divisions are requested to attend the meeting online and also to put forth necessary suggestions to increase the use of Official Language Hindi for the Office work. It is also requested that report regarding the progress achieved under their respective charges may also be reported.

शांति वी./SHANTHI V.

सहायक आयुक्त(का व सत/ रा.भा.)/ASSISTANT COMMISSIONER[P&V/OL]

प्रतिलिपि /Copy to:

1. प्रधान आयुक्त का फाइल /अपर आयुक्त /सभी संयुक्त आयुक्त/सभी उप /सहायक आयुक्त, मुख्यालय ।
Pr.Commissioner's file/Addl. Commissioner/All Joint Commissioners/ All Dy.Asst.Commissioners,Hqrs.
2. सभी अनुभाग प्रमुख /प्रशासन अधिकारी (प्रशासन /स्थापना)मु.ले.अ./वे.ले.अ./प्रशासन अधिकारी (आ.व वि.)
All Heads of Sections/Admn. Officer(Admn. &Estt.)/CAO/PAO/AO(DDO)
3. जन संपर्क अधिकारी, मुख्यालय को सूचना एवं आवश्यक प्रबन्ध के लिए।P.R.O., Headquarters for information and necessary arrangements.